भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
IIT
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
BANARAS HINDU UNIVERSITY

कुलसचिव कार्यालय Office of the Registrar

(राजभाषा प्रकोष्ठ) **(Rajbhasha cell)**

पत्र सं0. भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)/ रा.भा.प्र./3(1)/पत्राचार (भाग-IV)/ 3708 **दिनांक:19.05.2025**

1. समस्त अधिष्ठातागण
2. समस्त सह अधिष्ठातागण
3. समस्त विभागाध्यक्ष/स्कूलों के समन्वयक
4. प्रभारी इकाई/केन्द्र/कार्यालय
5. समस्त आचार्य प्रभारी
6. अध्यक्ष, कैफेटेरिया
7. अध्यक्ष, संरक्षक परिषद
8. मुख्य आरक्षाधिकारी
9. समन्वयक, गांधी प्रौद्योगिकी स्नातक केन्द्र
10. अध्यक्ष, वेब मैनेजमेंट एवं ई-मेल सेवा
11. समस्त प्रशासनिक संरक्षक
12. समस्त संयुक्त कुलसचिव
13. समस्त उप कुलसचिव
14. समस्त सहायक कुलसचिव (वरिष्ठ वेतनमान)
15. समस्त सहायक कुलसचिव
16. निदेशक के निजी सचिव

भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)।

विषय: राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत 14 दस्तावेजों को द्विभाषी में जारी करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया राजभाषा प्रभाग, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन 11011/2/2025-रा.भा.प्र. दिनांक 16 मई, 2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत 14 दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी में जारी किया जाना है।

अतः इस संबंध में, आपसे अनुरोध है कि कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित सभी 14 दस्तावेजों को द्विभाषी अर्थात् हिंदी एवं अँग्रेजी में जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

अमित

उप कुलसचिव (राजभाषा)
भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.) वाराणसी

संलग्नक: यथोक्त।

सं. 11011/2/2025-रा.भा.प्र.

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

(राजभाषा प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 16 मई, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत उल्लिखित सभी 14 प्रकार के दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किए जाने के संबंध में।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के अनुसार, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों को द्विभाषी अर्थात हिंदी एवं अंग्रेजी में जारी किया जाना निर्धारित है:

1. सामान्य आदेश
2. परिपत्र
3. संकल्प
4. नियम
5. ज्ञापन
6. अधिसूचनाएं
7. प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन
8. प्रैस विज्ञप्तियां
9. संविदाएं
10. करार
11. अनुज्ञप्तियां
12. अनुज्ञा पत्र
13. निविदा सूचना एवं निविदा प्रारूप
14. नीति संबंधी दस्तावेज़

अनुरोध है कि आप अपने कार्यालय में उपर्युक्त दस्तावेजों को अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

16/05/2025

(अजय कुमार झा)
उप निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 011-23380429
ई मेल: rajbhasha.edu@gmail.com

सेवा में,

शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संस्थान/विश्वविद्यालय/परिषद/बोर्ड आदि के प्रमुख।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव (राजभाषा एवं प्रशासन)।
2. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति।

(सन्तोष कुमारी) 16/5/2

सहायक निदेशक (राजभाषा)